ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 61
TO BE ANSWERED ON 08/12/2023

BENEFICIARIES UNDER PM-KISAN

*61. Dr. Sasmit Patra:

Will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to state:

(a) the number of beneficiaries under the PM-KISAN Yojana, State-wise;

(b) the number of beneficiaries under PM-KISAN in Odisha, district-wise;

(c) whether Government is planning to include agricultural laborers to receive benefits under the scheme; and

(d) the initiatives of Government to ensure the integration of all eligible farmers in the scheme?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) to (d): A Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT MADE IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 61 RAISED BY Dr. SASMIT PATRA, MP DUE FOR REPLY ON 08/12/2023.

(a) & (b): The PM-KISAN scheme is a central sector scheme launched in February 2019 by the Hon'ble Prime Minister to supplement the financial needs of land-holding farmers. Under this scheme, the financial benefit of Rs 6,000/- per year in three equal instalments every four months is transferred into the bank accounts of farmers' families across the country through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. The PM-KISAN scheme is one of the largest DBT Schemes of the World.

A farmer-centric digital infrastructure has ensured the benefits of the scheme reach all the farmers across the country without any involvement of the middlemen. Maintaining absolute transparency in registering and verifying beneficiaries, the Government of India has disbursed over Rs 2.81 lakh Cr to more than 11 Cr farmers in 15 instalments, so far.

The number of beneficiaries State/UT-wise who received the benefits of the 15th instalment is available at Annexure-I and the number of beneficiaries District-wise for Odisha State who received the benefits of the 15th instalment is available at Annexure-II.

(c): There is no such proposal under consideration.

(d): The Government has taken several initiatives to ensure that all the eligible farmers are on-boarded in the PM-KISAN scheme. The initiatives include:

(i) There is a facility of Farmers' Corner on the PM Kisan portal where farmers can register and update their details.
(ii) State/UT Governments have been provided facility of registering the farmers in bulk mode and through direct entry.
(iii) Over 4.0 lakh Common Service Centers have been on-boarded across the country to provide farmers registration facility at their doorsteps.
(iv) PM-KISAN Mobile app with the feature of face authentication has been developed and available to the farmers for self-registering and completing their eKYC status on the PM Kisan scheme
(v) "Know Your Status" (KYS) module/ facility has been provided on the portal where the farmers can view their complete details regarding payment status, eligibility status, etc. Through, KYS farmers can know the status of their land seeding, Aadhaar linking with bank accounts and e-KYC on single click. Also, if e-KYC has not been done, then the farmer can reach the e-KYC Module with one click and can complete his/ her e-KYC successfully.
(vi) To ensure that the benefits are transferred to the bank accounts of the beneficiaries, payment to Aadhaar linked bank accounts has been enabled.
(vii) Further, the PM-KISAN scheme has robust grievance redressal system in place. The farmers can register their grievances on the PM-KISAN portal and also take help of 24x7 IVRS facility for their effective and timely resolution. The farmers

can also use the facility to register their grievances, if any through Public Grievances portal.

(viii) In addition to the above, the Government of India has developed Kisan e-Mitra (AI Chatbot) – Farmers' digital assistance to address their queries in their own languages and thereby empowering the farmers through technological interventions. The Kisan e-Mitra is removing the existing technological and language barriers of the farmers. The Kisan-eMitra, AI Chatbot is initially available in 5 languages i.e. English, Hindi, Odiya, Tamil and Bangla.

Annexure-I

State-wise details of the number of beneficiaries who received the 15th instalment of the PM-KISAN scheme under the PM-KISAN as on 04.12.2023

Sr No	State Name	No. of Beneficiaries
1	Andaman And Nicobar Islands	3,620
2	Andhra Pradesh	39,56,907
3	Arunachal Pradesh	54,805
4	Assam	12,15,780
5	Bihar	72,23,706
6	Chandigarh	275
7	Chhattisgarh	21,54,139
8	Delhi	8,302
9	Goa	5,982
10	Gujarat	42,35,541
11	Haryana	13,84,966
12	Himachal Pradesh	7,15,975
13	Jammu And Kashmir	7,65,552
14	Jharkhand	12,59,784
15	Karnataka	43,78,002
16	Kerala	23,50,845
17	Ladakh	14,805
18	Lakshadweep	608
19	Madhya Pradesh	75,68,418
20	Maharashtra	84,54,770
21	Manipur	5,871
22	Meghalaya	54,729
23	Mizoram	55,656
24	Nagaland	1,18,506
25	Odisha	24,96,867
26	Puducherry	8,054
27	Punjab	4,97,228
28	Rajasthan	48,65,927
29	Sikkim	13,945
30	Tamil Nadu	20,45,364
31	Telangana	28,71,805
32	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	10,346
33	Tripura	1,94,945
34	Uttar Pradesh	1,75,61,128
35	Uttarakhand	6,79,658
36	West Bengal	39,80,670
	Grand Total	**8,12,13,481**

Annexure-II

District-wise details of the number of beneficiaries for the State of Odisha who received the 15th instalment of the PM-KISAN scheme under PM-KISAN as on 04.12.2023

Sr No	District	Beneficiaries
1	Anugul	97,246
2	Balangir	1,32,300
3	Baleshwar	1,71,561
4	Bargarh	1,11,786
5	Bhadrak	1,10,829
6	Boudh	36,337
7	Cuttack	1,04,878
8	Deogarh	28,456
9	Dhenkanal	76,522
10	Gajapati	32,601
11	Ganjam	1,33,365
12	Jagatsinghapur	90,939
13	Jajapur	93,042
14	Jharsuguda	23,270
15	Kalahandi	1,10,400
16	Kandhamal	49,269
17	Kendrapara	84,435
18	Kendujhar	1,54,619
19	Khordha	52,625
20	Koraput	50,998
21	Malkangiri	28,941
22	Mayurbhanj	1,88,346
23	Nabarangpur	65,968
24	Nayagarh	50,120
25	Nuapada	67,207
26	Puri	1,19,509
27	Rayagada	35,009
28	Sambalpur	45,701
29	Sonepur	45,606
30	Sundargarh	1,04,982
	Grand Total	**24,96,867**

*****

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *61
08 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम- किसान योजना के तहत लाभार्थी
***61 डा. सस्मित पात्राः**
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) ओडिशा में पीएम- किसान योजना के तहत लाभार्थियों की जिलेवार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खेतिहर मजदूरों को भी शामिल करने की योजना बना रही है; और
(घ) इस योजना में सभी पात्र किसानों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2023 को उत्तरार्थ 'पीएम- किसान योजना के तहत लाभार्थी' के संबंध में डा. सस्मित पात्रा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 61 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अभी तक 15 किश्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

15वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-I पर है और ओडिशा राज्य के लिए जिले-वार लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें 15वीं किस्त का लाभ प्राप्त हुआ है, अनुबंध-II पर उपलब्ध है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं कि सभी पात्र किसान पीएम-किसान योजना में शामिल हों। पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की सुविधा है जहां किसान अपना पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं और अपना विवरण भी अपडेट कर सकते हैं।

(ii) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को किसानों को बल्क मोड में और सीधे प्रवेश के माध्यम से पंजीकृत करने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

(iii) देश भर में **4.0** लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों को पीएम किसान योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमे देश के किसानों को उनके घर के नज़दीक पंजीकरण आदि की सुविधा प्राप्त हो सके।

(iv) फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और यह किसानों को पीएम किसान योजना पर स्व-पंजीकरण और उनकी ईकेवाईसी को पूरा करने के लिए उपलब्ध है।

(v) पोर्टल पर "नो योर स्टेटस" (केवाईएस) मॉड्यूल/सुविधा प्रदान की गई है, जहां किसान भुगतान की स्थिति, पात्रता की स्थिति आदि के बारे में अपना पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। केवाईएस के माध्यम से किसान एक क्लिक पर अपनी लैंड सीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ना, और ई-केवाईसी की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा, यदि ई-केवाईसी नहीं हुई है, तो किसान एक क्लिक से ई-केवाईसी मॉड्यूल के द्वारा अपना ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ लाभार्थियों के ही बैंक खातों में स्थानांतरित हों, आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की गयी है।

(vii) इसके अतिरिक्त, पीएम-किसान योजना में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है। किसान अपनी शिकायतें पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और उनके प्रभावी और समय पर समाधान के लिए **24x7** आईवीआरएस सुविधा की मदद भी ले सकते हैं। किसान लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने के लिए भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

(viii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने किसान ई-मित्र (एआई चैटबॉट) विकसित किया है- यह किसानों का डिजिटल सहायक है जो की उनकी भाषा मे उनके प्रश्नो का समाधान करता है और इस तरह तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया गया है। किसान ई-मित्र किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर कर रहा है। किसान ई-मित्र (एआई चैटबॉट) शुरुआत में **5** भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल और बांग्ला में उपलब्ध है।

अनुबंध-I

दिनांक 04.12.2023 तक पीएम-किसान के अंतर्गत पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,620
2	आंध्र प्रदेश	39,56,907
3	अरुणाचल प्रदेश	54,805
4	असम	12,15,780
5	बिहार	72,23,706
6	चंडीगढ़	275
7	छत्तीसगढ	21,54,139
8	दिल्ली	8,302
9	गोवा	5,982
10	गुजरात	42,35,541
11	हरियाणा	13,84,966
12	हिमाचल प्रदेश	7,15,975
13	जम्मू और कश्मीर	7,65,552
14	झारखंड	12,59,784
15	कर्नाटक	43,78,002
16	केरल	23,50,845
17	लद्दाख	14,805
18	लक्षद्वीप	608
19	मध्य प्रदेश	75,68,418
20	महाराष्ट्र	84,54,770
21	मणिपुर	5,871
22	मेघालय	54,729
23	मिजोरम	55,656
24	नागालैंड	1,18,506
25	ओडिशा	24,96,867
26	पुदुचेरी	8,054
27	पंजाब	4,97,228
28	राजस्थान	48,65,927
29	सिक्किम	13,945
30	तमिलनाडु	20,45,364
31	तेलंगाना	28,71,805
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	10,346
33	त्रिपुरा	1,94,945
34	उत्तर प्रदेश	1,75,61,128
35	उत्तराखंड	6,79,658
36	पश्चिम बंगाल	39,80,670
	सकल योग	**8,12,13,481**

अनुबंध -II

दिनांक 04.12.2023 तक पीएम-किसान के अंतर्गत पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त प्राप्त करने वाले ओडिशा राज्य के लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	लाभार्थी
1	अनुगुल	97,246
2	बलांगीर	1,32,300
3	बालेश्वर	1,71,561
4	बारगढ़	1,11,786
5	भद्रक	1,10,829
6	बौध	36,337
7	कटक	1,04,878
8	देवगढ़	28,456
9	ढेंकनाल	76,522
10	गजपति	32,601
11	गंजम	1,33,365
12	जगतसिंहपुर	90,939
13	जाजपुर	93,042
14	झारसुगुडा	23,270
15	कालाहांडी	1,10,400
16	कंधमाल	49,269
17	केंद्रपाड़ा	84,435
18	केंदुझर	1,54,619
19	खोरधा	52,625
20	कोरापुट	50,998
21	मल्कानगिरी	28,941
22	मयूरभंज	1,88,346
23	नबरंगपुर	65,968
24	नयागढ़	50,120
25	नुआपाड़ा	67,207
26	पुरी	1,19,509
27	रायगढ़	35,009
28	संबलपुर	45,701
29	सोनेपुर	45,606
30	सुंदरगढ़	1,04,982
	सकल योग	**24,96,867**

*****

डा. सस्मित पात्राः माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर रखा है। मेरा पहला सप्लीमेंटरी फसल बीमा योजना के बारे में है, क्योंकि यह किसानों से रिलेटेड है। मैं ओडिशा के संदर्भ में यह सवाल रख रहा हूं। ओडिशा के किसान, विशेषकर Coastal Odisha, Western Odisha और दक्षिण ओडिशा में ज्यादातर पैडी ग्रो करते हैं, धान ग्रो करते हैं और कई बार natural calamities के कारण उनकी फसलों की हानि होती है। फसल बीमा योजना के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो फसल बीमा की राशि है, उसको मिलने में विलंब होने से किसानों को जो क्षति पहुंचती है, जो क्रॉप लॉस होता है, उसकी भरपाई करने में उनको दिक्कत आती है और विशेषकर ओडिशा में कई किसान इससे प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस परेशानी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री कैलाश चौधरी : सभापति जी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की है, जिससे किसानों को एक कवच के रूप में सहायता मिलती है। हम देखते हैं कि कई बार आपदा आती है और उस समय किसानों को कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन आज एक उम्मीद है कि किसानों को फसल बीमा मिले और निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा ओडिशा से लेकर पूरे देश के अंदर सभी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। इसके लिए सरकार ने नई फसल बीमा नीति भी बनाई है और हमने उसमें कई सुधार भी किए, ताकि उसके अंदर पात्र किसानों को क्लेम भी मिलें। इसके लिए हमने उसकी तीन साल की टेंडर प्रक्रिया भी कर दी, जो पहले एक साल की होती थी। उसके बाद उसमें नई तकनीक का भी उपयोग हो, जिससे किसी भी पात्र किसान को फसल का क्लेम मिले। इसके लिए 'AIDE on Yojana' ऐप बनाई है और उस ऐप के माध्यम से किसान के पास डायरेक्ट मित्र जाते हैं और वहां जाकर उसका बीमा करवाते हैं। उसके अंदर भी लगभग 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया और लगभग पौने तीन लाख किसानों के पास हम सीधे पहुंचे हैं। यह आप पहली बार देख रहे होंगे। उसके साथ ही 'YES-Tech' ऐप तैयार की गई है, 'DigiClaim Module' तैयार किया गया है, ताकि किसानों को 'DigiClaim' में सही क्लेम मिल सके। उसके साथ ही 'WINDS' की स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसमें स्वचालित *मौसम* स्टेशन बनाए गए हैं। जो मौसम स्टेशन्स हैं, उनमें गांवों के अंदर ही 1 लाख 'rain gauge' प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 2500 'Automatic Weather Stations' बनाए गए हैं। ये सभी इसलिए बनाए गए हैं, ताकि किसान को वास्तव में क्लेम मिले। किसानों का जो क्लेम है, उसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पात्र किसान हैं, उनको मिले। मुझे माननीय सदस्य को निश्चित रूप से यह बताना है कि आगे भी इसके अंदर काफी सुधार किए गए हैं और आगे भी जैसी संभावना होगी, वैसी तकनीक का प्रयोग करके सुधार किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Sasmit Patra.

डा. सस्मित पात्रा : महोदय, मैं पहले सवाल के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा दूसरा सवाल natural disaster, विपत्तियों से संबंधित है और ओडिशा के किसानों से संबंधित है।

पिछले 100 सालों में लगभग 99 cyclones ओडिशा को हिट कर चुके हैं। अभी हाल ही में चेन्नई और साउथ को हिट करते हुए 'Michaung' cyclone आया था। जब ऐसी natural disasters आती हैं, ऐसी विपत्तियां आती हैं, तो किसानों की कमर टूट जाती है, क्योंकि उस विपत्ति से उभरने में कई-कई साल लग जाते हैं। विशेषकर अगर आप ओडिशा के संदर्भ में देखें, तो नेचुरल डिज़ास्टर में चाहे उसे फैलिन, हुड हुड, तितली कह लीजिए, ऐसे कई साइक्लोन्स आते हैं और किसानों के नुकसान की भरपाई में या उनकी परेशानियों को हल करने में समय लगता है। विशेषकर जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे ओडिशा और अन्य राज्य हैं, वहां के किसानों के विकास के लिए और कैसे वे उभर सकते हैं और उनके जो overall losses होते हैं, compensation होते हैं, वे SDRF और NDRF से संबंधित होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय उनके overall विकास में कैसे उनको मदद कर सकता है और वे कैसे इन परेशानियों से उभर सकते हैं?

श्री कैलाश चौधरीः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने इसके समाधान के लिए SDRF और NDRF फंड का जिक्र किया है। कृषि स्टेट का विषय है और स्टेट के अंदर आरकेवीवाई भी वही योजना है, जो हमारी है। उस योजना के माध्यम से अगर कोई स्टेट उसको लेकर कार्य करना चाहता है, तो वह उसके नॉर्म्स के अनुसार कर सकता है। निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए किसानों के लिए जो स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत कार्य करती है। हमने बजट का भी प्रावधान किया है। 2013 से आज तक हमने बजट को बढ़ाया है। 2013 में कृषि का जो बजट था, वह लगभग 23 हज़ार करोड़ था, अभी कृषि का बजट भी लगभग 1 लाख 25 हज़ार करोड़ है, जिसमें लगभग साढ़े पांच गुणा वृद्धि की गई है।

इसी तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की भी योजना है। नेचुरल फार्मिंग पर भी किसान जाए, हमने ऐसी वैरायटीज़ भी आईसीएआर के द्वारा तैयार की हैं। हमने क्लाइमेट अनुसार उनकी climate resilient varieties तैयार की हैं, ताकि किसान को अगर आपदा का सामना करना पड़ा, बरसात या नुकसान हो जाए, तो भी उसकी फसल खड़ी रहे और उसका नुकसान न हो। आईसीएआर के द्वारा भी ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में एडवाइज़रीज़ भी जारी की जाती हैं। निश्चित रूप से किसानों को पहले सूचना मिले, इसके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। बाकायदा समय-समय पर उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके ऊपर भी सरकार का लगातार प्रयास रहता है। जैसा आपने कहा है, तो मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ओडिशा के संदर्भ में ऐसा ही कार्य किया जा रहा है, जैसे पूरे देश में किया जा रहा है।

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, through you, I would like to ask a very pointed question to the hon. Minister. Why has the number of beneficiaries of the PM-Kisan scheme reduced by 67 per cent from 2019 to 2022?

श्री कैलाश चौधरीः माननीय सभापति, जैसा कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू की और पहली बार पीएम किसान योजना प्रारंभ हुई। यह योजना 2019 में प्रारंभ हुई, तो 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तौर पर 6,000

रूपये किसान के अकाउंट में तीन किस्तों में जाता है। जैसा कि माननीय सदस्या ने इसमें सदस्यों की संख्या कम होने संबंधी स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है कि जो 'पीएम किसान सम्मान निधि' है...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the hon. Member is specific, that there has been a reduction of 67 per cent in the beneficiary list. Respond to that.

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' के जो प्रारंभ में सदस्य थे, उसके संबंध में राज्य सरकार की तरफ से जो डेटा आए थे, वे पूरे आए थे और उसमें किसान सम्मान निधि का पैसा उनको रिलीज़ हुआ। लेकिन उसके बाद जो अपात्र किसान थे, उनको वह पैसा मिल गया। उसके बाद हमने उसको आधार से लिंक किया। इसकी वजह से कुछ नाम कम हुए। उसके बाद हमने उसको ई-केवाईसी के माध्यम से जोड़ा और फेस ऑथेंटिकेशन से भी यह कार्य किया गया। उसके बाद जो पात्र किसान हैं, उनकी संख्या आज लगभग 8.12 करोड़ है। इसमें हम लगातार राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क में हैं कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं, अगर वे वास्तव में वंचित हैं, तो ई-केवाईसी के माध्यम से आधार लिंक करके उनके नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाएं। ताकि हमारे जितने भी किसान हैं, जो इससे वंचित रह गए हैं, उनको हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकें। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या ने पूछा है कि पहले लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी और माननीय सदस्या ने कहा है कि इस संख्या में लगभग 67 परसेंट की गिरावट आई है। उस पर माननीय सदस्या को आप निमंत्रित कीजिए और उनसे इस विषय पर चर्चा कीजिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2019 के मुकाबले 67 परसेंट गिरी है।

श्री कैलाश चौधरी: सभापति जी, इसमें 67 परसेंट की गिरावट नहीं आई है। यह 11 करोड़ किसानों तक गया था और अभी 8 करोड़, 12 लाख किसानों को मिल रहा है। यह परसेंटेज इतना नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the hon. Minister will invite you in his Chamber and then you can come back to the House.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Okay, Sir.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सभापति जी, इसका उत्तर पूरे सदन को मालूम होना चाहिए। अगर इन दोनों ने ही बात कर ली, तो हमें कैसे मालूम चलेगा?

श्री सभापतिः आपको भी मालूम चलेगा। मैंने तो सोचा था कि आज मल्लिकार्जुन खरगे जी कहेंगे कि सभापति जी, आपने मंत्री जी से सदस्यों के अधिकारों को दिलाने के लिए पूरा काम किया है, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा है, अब कह दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मेरी यह विनती है कि दोनों का एक-दूसरे के पास जाकर समाधान निकालने की बजाय पूरे सदन को मालूम होना चाहिए कि इन पाँच सालों में इन बेनिफिशरीज़ की संख्या कम क्यों हो गई और उसका कारण क्या है। वे यह प्रश्न पूछ रही हैं और आपके पास ये आंकड़े होने चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आंकड़े नहीं दिए हैं, what is alarming from her question is the decline of 67 per cent which, *prima facie,* does not appear to be acceptable. Therefore, to find the way out और उसमें आपका लंबा, सार्वजनिक, राजनीतिक और संसदीय जीवन मेरे सामने है कि इन मामलों का हल निकालने का रास्ता होना चाहिए। वे माननीय सदस्या को आमंत्रित करेंगे and then she will come back to the House. The Chairman will find the method to keep the House in loop. आखिरकार मैं एक कृषक पुत्र हूँ, किसान का हित मेरे दिल में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय सदस्या, श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल के दिल में भी किसान के लिए इतनी हमदर्दी है और मंत्री जी के दिल में कितनी है, मैंने इसको जमीनी हकीकत पर देखा है। सबकी नीयत साफ है, We will move ahead.

SHRI JAIRAM RAMESH: Long suspended Member.

MR. CHAIRMAN: Well, you are in the queue!

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is also in the queue!

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः सभापति जी, मोदी सरकार सदैव किसानों के लिए काम करती है। सरकार ने किसानों की डिजिटल सहायता के लिए 'किसान ई-मित्र' प्लेटफार्म विकसित किया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो 'किसान ई-मित्र' प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, वह किसानों की कैसे मदद करता है, किसानों की ओर से इसे आज तक कितनी समस्याएँ प्राप्त हुईं और वे समस्याएँ किस प्रकार की थीं?

श्री कैलाश चौधरी : सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्या ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी और 'किसान ई-मित्र' के माध्यम से सरकार के द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है किसानों को किस प्रकार इनसे अधिक से अधिक जोड़ा जाए, मैं उनके प्रश्न के उत्तर में उन्हें बताना चाहता हूं कि किसान को 'किसान सम्मान निधि' मिले और उसकी जो भी समस्या है, उसके समाधान के लिए हमने एक पोर्टल विकसित किया है। उस पोर्टल के माध्यम से वह किसान अपने कस्टम

हायरिंग सेंटर (सीएचसी) पर जाकर स्वयं भी अपने नाम को जुड़वा सकता है। इसके साथ ही, अगर उसकी कोई समस्या है, तो उसमें ई- केवाईसी के माध्यम से एक किसान सौ किसानों को भी जोड़ सकता है। इसमें अधिकारी को भी यह पॉवर दी गई है कि वह 500 किसानों को इसके साथ जोड़ सकता है। इसके माध्यम से लगभग 20 लाख किसानों को ई-केवाईसी से डायरेक्ट जोड़ा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 'किसान ई-मित्र' को हमने पाँच भाषाओं के अंदर बनाया है, जिसमें अगर वे डैशबोर्ड पर या मोबाइल पर लिखते जाएंगे, तो उन्हें उसका जवाब भी तुरंत मिलता जाएगा। इसमें लगभग 1 लाख 55 हज़ार फोन कॉल्स हुई हैं और सीधी आवाज़ से लगभग 24 करोड़ से अधिक बार बातचीत हुई है। इसलिए मुझे यह लगता है कि इस पर लगातार प्रयास जारी है और नई-नई टेक्नोलॉजी से किसान को ज्यादा से ज्यादा किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे किसानों की समस्या का समाधान भी लगातार हो रहा है।

श्री सभापतिः श्री जयंत चौधरी।

श्री जयंत चौधरीः सभापति जी, अभी मंत्री जी ने रजनी जी के सवाल के जवाब में यह बात स्वीकारी कि वे ई-केवाईसी का नॉर्म और आधार को सब्मिट करने का नार्म इस योजना में लाए हैं, तो लाभार्थियों की संख्या घट गई, यानी जो पहले पात्र नहीं होने चाहिए थे, उनको इसमें रखा गया था। इसलिए मेरा सुझाव है कि आगे से जो योजनाएँ बनें, उनमें पहले जो लाभार्थी हैं, उनको सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके बाद ऐसी योजनाएँ बनाई जाएँ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अब इस योजना को लागू किए 5 साल होने वाले हैं। 5 साल में किसान के खर्चे, किसान की लागत और कृषि में पूँजी निवेश की आवश्यकताएँ कई गुना बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अभी हाल में जहाँ इनकी सरकारें बनी हैं, वहाँ इनके मेनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 6,000 रुपए को राज्य के संसाधनों के द्वारा सप्लीमेंट किया जाएगा। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी कि 5 साल बाद अब 6,000 रुपए को बढ़ाया जाए?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश चौधरीः माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार यह किसान सम्मान निधि योजना लागू की और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के मिल रहे हैं। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि इससे निश्चित रूप से किसानों की इनकम में भी इजाफा हुआ है। किसान इस योजना का लाभ लेकर, क्योंकि उसको चार महीने बाद इसका इंतजार रहता है कि उसके पास 2,000 रुपए आएँगे, तो उससे किसान के लिए जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है, चाहे उसको बीज की आवश्यकता हो या किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता हो, तुरंत उसको इसका लाभ मिलता है। मुझे इस संबंध में यही कहना है कि कई राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि के साथ ऐड ऑन करके जोड़ा है। मैं निश्चित रूप

से यह कह सकता हूँ कि यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.62-Shri Ram Nath Thakur.